स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2023

प्रलिम्सि के लयि:

स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स, 2023, IUCN (अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ), पश्चिमी घाट, एशियाई कोयल, प्रवासी पक्षी, जलवायु परिवर्तन

मेन्स के लयि:

भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट, 2023

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स** (State of India's Birds- SoIB), अर्थात् **भारत पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023** जारी की गई है, इसमें कुछ पक्षी प्रजातियों के अच्छे तरह विकसित होने और **कई पक्षी प्रजातियों में पर्याप्त गिरावट को दर्शाया गया** है।

- SoIB 2023 **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS), वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII)** और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया **(ZSI) सहित 13 सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों** का अपनी तरह का पहला सहयोगात्मक प्रयास है। उक्त संगठनों व निकायों के साथ वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI), **वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया** (WWF-इंडिया) आदि **भारत में नियमित रूप से पाए जाने वाली पक्षी प्रजातियों की समग्र संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन** करते हैं।

रिपोर्ट में प्रयुक्त पद्धतियाँ:

- **यह रिपोर्ट लगभग 30,000 पक्षी वैज्ञानियों द्वारा एकत्र किये गए आँकड़ों** पर आधारित है।
- इस रिपोर्ट में पक्षियों की आबादी का आकलन करने के लिये तीन प्राथमिक सूचकांकों को आधार बनाया गया है:
  - दीर्घकालिक रुझान (30 वर्षों में परिवर्तन)
  - वर्तमान वार्षिक प्रवृत्ति (पिछले सात वर्षों में परिवर्तन)
  - भारतीय वितरण क्षेत्र का आकार
    - 942 पक्षी प्रजातियों के मूल्यांकन से पता चला है कि **उनमें से कई प्रजातियों में सटीक दीर्घकालिक या अल्पकालिक रुझान निर्धारित नहीं किये जा सके हैं**।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- **स्थिति:**
  - चिह्नित दीर्घकालिक रुझानों वाली 338 प्रजातियों में से 60% प्रजातियों में गिरावट देखी गई है, 29% प्रजातियाँ स्थिर हैं तथा 11% में वृद्धि देखी गई है।
  - निर्धारित वर्तमान वार्षिक रुझान वाली 359 प्रजातियों में से 39% घट रही हैं, 18% तेज़ी से घट रही हैं, 53% स्थिर हैं और 8% बढ़ रही हैं।
- सकारात्मक रुझान: पक्षियों की प्रजातियों में वृद्धि:

- सामान्य गिरावट के बावजूद कुछ पक्षी प्रजातियों में कुछ सकारात्मक रुझान देखे गए हैं।
- उदाहरण के लिये **भारतीय मोर** जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुतायत और वितार दोनों मामले में **उल्लेखनीय वृद्धि** देखी जा रही है।
  - इस प्रजाति ने अपनी सीमा को नए प्राकृतिक वास में विस्तारित किया है, जिनमें उच्च तुंग वाले हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट के वर्षावन शामिल हैं।
- **एशियन कोयल**, हाउस क्रो, रॉक पिजन और एलेक्जेंड्रिन पैराकीट (Alexandrine Parakeet) को भी **उन प्रजातियों के रूप में उजागर** किया गया है **जिन्होंने वर्ष 2000 के बाद से उल्लेखनीय वृद्धि की है।**

- **विशिष्ट पक्षी प्रजाति:**
  - पक्षी प्रजातियाँ जो "**विशिष्ट**" हैं- आर्द्रभूमि, वर्षावनों और घास के मैदानों जैसे **संकीर्ण आवासों तक ही सीमित** हैं, जबकि इन प्रजातियों के विपरीत वृक्षारोपण और कृषि क्षेत्रों जैसे व्यापक आवासों में निवास करने वाली प्रजातियाँ **तेज़ी से घट रही हैं।**
  - **"सामान्य पक्षी प्रजाति" जो कई प्रकार के आवासों में रहने में सक्षम हैं**, एक समूह के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
    - "हालाँकि, विशिष्ट प्रजाति के पक्षियों को **सामान्य प्रजाति के पक्षियों की तुलना में अधिक खतरा है।**
    - घास के मैदानों में वास करने वाले विशेष पक्षियों में **50% से अधिक की गिरावट आई है।**
  - **वनों में वास करने वाले पक्षियों में भी सामान्य पक्षियों की तुलना में अधिक गिरावट आई है** , जो प्राकृतिक वन आवासों को संरक्षित करने की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि वे विशिष्ट प्रजाति के पक्षियों को को आवास प्रदान कर सकें।
- **प्रवासी और निवासी पक्षी:**
  - प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से यूरेशिया और आर्कटिक से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों में 50% से अधिक की **सार्थक कमी** देखी गई है, साथ ही कम दूरी के प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी कमी आई है।
  - आर्कटिक में प्रजनन करने वाले तटीय पक्षी विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, जिनमें **लगभग 80% की कमी** आई है।
  - इसके विपरीत एक समूह के रूप में निवासी प्रजाति पक्षी अधिक स्थिर बने हुए हैं।
- **पक्षियों के आहार और संख्या में गिरावट का पैटर्न:**
  - पक्षियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में भी प्रचुरता देखी गई है। कशेरुक और **मांसाहार खाने वाले पक्षियों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है।**
    - डाइक्लोफेनाक (Diclofenac) से दूषित शवों को खाने से गिद्ध लगभग विलुप्त होने की अवस्था में थे।
  - सफेद पूँछ वाले गिद्धों, भारतीय गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों को सबसे अधिक **दीर्घकालिक गिरावट (क्रमशः 98%, 95% और 91%)** का सामना करना पड़ा है।
- **स्थानिक पक्षियों और जलपक्षियों की आबादी में गिरावट:**
  - पश्चिमी घाट और श्रीलंका जैववविधता हॉटस्पॉट के लिये अद्वितीय स्थानिक प्रजातियों में तेज़ी से गिरावट आई है।
    - भारत की 232 स्थानिक प्रजातियों में से कई प्रजातियों का आवास स्थान **वर्षावन हैं और उनकी गिरावट आवास संरक्षण के बारे में चिंता पैदा** करती है।
  - **बत्तख, निवासी और प्रवासी दोनों की संख्या कम हो रही है,** बेयर पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड और अंडमान टील जैसी कुछ प्रजातियाँ विशेष रूप से असुरक्षित हैं।
  - **नदियों पर कई प्रकार के दबावों के कारण नदी के किनारे रेतीले घोंसले बनाने वाले पक्षियों की संख्या में** भी गिरावट आ रही है।
- **प्रमुख खतरे:**
  - रिपोर्ट में **वन क्षरण, शहरीकरण और ऊर्जा अवसंरचना सहित कई प्रमुख खतरों पर प्रकाश** डाला गया है, जिनका सामना देश भर में पक्षी प्रजातियों को करना पड़ रहा है।
  - **निमेसुलाइड** जैसी पशु चिकित्सा दवाओं सहित **पर्यावरण प्रदूषक** अभी भी भारत में गिद्ध आबादी के लिये खतरा हैं।
  - जलवायु परिवर्तन के प्रभाव (जैसे प्रवासी प्रजातियों पर) **पक्षी रोग और अवैध शिकार तथा व्यापार भी प्रमुख खतरों** में से हैं।
- **अन्य प्रजातियाँ:**
  - लंबी अवधि में **सारस क्रेन की आबादी में तेज़ी से गिरावट** आई है और यह जारी है।
  - कठफोड़वा की 11 प्रजातियों, जिनके लिये स्पष्ट दीर्घकालिक रुझान प्राप्त किये जा सकते हैं, में से **सात स्थिर दिखाई देती हैं, जबकि दो की आबादी घट रही हैं, और दो के मामले में तेज़ी से गिरावट** आ रही है।
    - **पीले मुकुट वाले कठफोड़वा (Yellow-Crowned Woodpecker),** जो व्यापक रूप से काँटेदार और झाड़ियों वाले जंगलों में रहते हैं, की संख्या में पिछले **तीन दशकों में 70% से अधिक की गिरावट** आई है।
  - जबकि विश्व भर में सभी बस्टर्ड में से आधे खतरे में हैं, भारत में प्रजनन करने वाली तीन प्रजातियाँ **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन सबसे अधिक असुरक्षित पाई गई** हैं।

सिफारिशें:

- **पक्षियों के विशिष्ट समूहों को संरक्षित करने की आवश्यकता** है। उदाहरण के लिये रिपोर्ट में पाया गया कि घास के मैदान संबंधी विशिष्ट प्रजातियों की संख्या में 50% से अधिक की गिरावट आई है, जो घास के मैदान के **पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और रखरखाव के महत्त्व** को दर्शाता है।
- **पक्षियों की आबादी में छोटे पैमाने** पर होने वाले बदलावों को समझने के लिये लंबे समय तक पक्षियों की आबादी की व्यवस्थित निगरानी करना महत्त्वपूर्ण है।
- **गिरावट या वृद्धि के पीछे के कारणों को समझने के लिये** और अधिक शोध की आवश्यकता स्पष्ट होती जा रही है।
- रिपोर्ट के निष्कर्ष पक्षियों की **आबादी में गिरावट को रोकने और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र** सुनिश्चित करने के लिये आवास संरक्षण, **प्रदूषण को संबोधित** करने तथा **पक्षियों की आहार आवश्यकताओं को समझने** के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं।

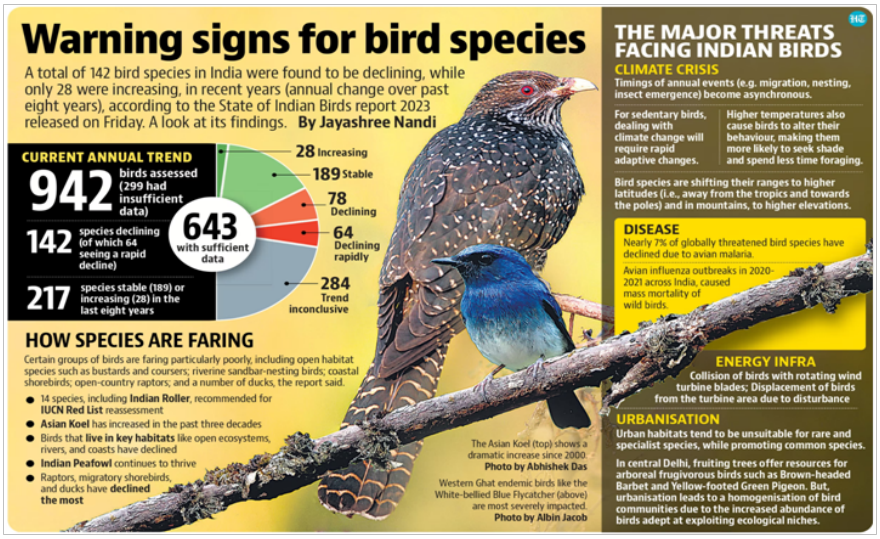

पारस्थितिकी तंत्र में पक्षियों की व्यवहार्य आबादी सुनश्चित करने के लिये संभावित कदम:

- **पर्यावास संरक्षण और पुनरुद्धार:**
  - जंगलों, आर्द्रभूमियों, घास के मैदानों और तटीय क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक आवासों की रक्षा तथा संरक्षण करना, जो पक्षियों के घोंसले, भोजन एवं प्रजनन के लिये आवश्यक हैं।
  - **देशी वनस्पति लगाकर** और पक्षियों की **आबादी के लिये खतरा पैदा करने वाली आक्रामक प्रजातियों** को हटाकर नष्ट हुए आवासों को पुनर्स्थापित करना।
- **संरक्षित क्षेत्र और रिज़र्व:**
  - **संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना व प्रबंधन करना जहाँ पक्षी मानवीय हस्तक्षेप के बिना रह सकें।**
  - इन क्षेत्रों में आवास विनाश और गड़बड़ी को रोकने के लिये नियम और दिशा-निर्देश लागू करना।
- **प्रदूषण कम करना:**
  - **वायु और जल प्रदूषण सहित प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करना,** जो पक्षियों की आबादी को सीधे या उनके खाद्य स्रोतों के संदूषण के माध्यम से नुकसान पहुँचा सकते हैं।
  - शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिये स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **जलवायु परिवर्तन को कम करना:**
  - **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके** और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन का समाधान करना।
  - **आवास गलियारों का समर्थन** करना जो पक्षियों को स्थानांतरित करने और बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति देते हैं।
- **मानवीय हस्तक्षेप को सीमित करना:**
  - घोंसले बनाने और भोजन प्रदान करने वाली जगहों पर विशेष रूप से प्रजनन के मौसम के दौरान **गड़बड़ी को कम करने के महत्त्व** के बारे में जनता को शिक्षित करना।
  - मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिये संवेदनशील पक्षी आवासों के आसपास बफर ज़ोन स्थापित करना।

विभिन्न पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा के लिये किये गए उपाय:

- **प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2023)।**
- **बाघ**, **एशियाई हाथी**, **हिम तेंदुआ**, **एशियाई शेर**, **एक सींग वाला गैंडा** और **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिये सीमा पार संरक्षित क्षेत्र।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- भारत ने गिद्धों के संरक्षण के लिये कई आवश्यक कदम उठाए हैं जैसे-**डाइक्लोफेनाक का पशु चिकित्सा में उपयोग पर प्रतिबंध**, **गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना** आदि।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-of-india-s-birds-2023-report